11307

संख्या–3014/[redacted]/09

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2009

विषय–नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थो पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2009 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में हुए विचार–विमर्श के परिप्रेक्ष्य में दिशा निर्देश।

****

महोदय,

अवगत कराना है कि नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 13 एवं 14 अक्टूबर, 2009 को प्रदेश के समस्त खाद्य एवं औषधि संवर्ग के अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश दिये गये। वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान यह संज्ञान में आया कि क्षेत्रीय स्तर पर नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप कार्यवाही के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासन नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कृत संकल्प है। शासन जन–मानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं मानक स्तर की औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है, अतः शासन की मंशा के अनुरूप इस सम्बन्ध में सुनियोजित रूप से प्रभावी कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

3– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों तथा अपमिश्रित खाद्य पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निम्नवत निर्देशित करने का कष्ट करें :–

- खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों से हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में यह बिन्दु प्रकाश में आया कि जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा एकत्र किये गये अधिकांश खाद्य एवं औषधि नमूने प्रयोगशाला विश्लेषण के पश्चात मानक स्तर के पाये जा रहे हैं। इससे परिलक्षित होता है कि पर्याप्त अभिसूचना प्राप्त किये बिना ही खाद्य एवं औषधि नमूने एकत्रित किये जा रहे हैं। उक्त के परिणामस्वरूप राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला पर भी अनावश्यक कार्य का बोझ पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को इस हेतु विशेष रूप से निर्देशित किया जाय कि नमूनों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर पर्याप्त अभिसूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही संदिग्ध नमूने एकत्र किये जाय। एकत्रित नमूनो में से अपमिश्रित/अधोमानक पाये गये नमूनों के प्रतिशत के आधार पर ही सम्बन्धित अधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन किया जायेगा।

समस्त खाद्य निरीक्षक / [illegible]
उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

- पूर्व में मुख्य खाद्य निरीक्षकों एवं खाद्य निरीक्षकों को खाद्य पदार्थों के संदेहास्पद 36 एवं 60 नमूने संग्रहण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि नमूना संग्रह का उक्त निर्धारित वार्षिक लक्ष्य समाप्त करते हुए पर्याप्त अभिसूचना प्राप्त करने के उपरान्त ही संदिग्ध नमूने एकत्र किये जाय।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि खाद्य एवं औषधि निर्माण इकाईयों एवं औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के निरीक्षण न तो पर्याप्त संख्या में किये जा रहे हैं और न ही उनमें कतिपय आवश्यक बिन्दुओं की सघन जॉच की जा रही है, जिसके कारण इन संस्थानों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, अतः सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे खाद्य औषधि निर्माण इकाईयों का निरीक्षण करते समय कच्चे माल के क्रय सम्बन्धी अभिलेख व मात्रा, उपलब्ध भौतिक स्टाक का सत्यापन, तैयार किये गये माल की मात्रा आदि का सम्यक परीक्षण व मिलान कर ले ताकि निर्माता द्वारा अनियमितता किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इसी प्रकार खाद्य एवं औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में क्रय किये गये माल की मात्रा, उपलब्ध भौतिक स्टाक तथा विक्रय की गयी मात्रा का परीक्षण व मिलान अवश्य कर लिया जाय,ताकि अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त औषधि निर्माणशालाओं, जिनके लाइसेंस निलम्बित/निरस्त हैं अथवा वे बन्द चल रही हैं, पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय क्योंकि ऐसी आशंका हो सकती है कि औषधि निर्माण सम्बन्धी सभी प्लान्ट/मशीनरी उपलब्ध होने के कारण उनके द्वारा अवैध रूप से औषधि निर्माण किया जा रहा हो।
- वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत दायर किये गये वाद वर्षो से लम्बित चल रहे है तथा प्रभावी पैरवी के अभाव में दोषी व्यक्तियों/फर्मो को दण्डित नहीं किया जा सका है। अतः प्रत्येक माह की जाने वाली मानीटरिंग सेल की बैठक में विचाराधीन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के वादों की समीक्षा की जाय तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।
- वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जनपदों में छापे के दौरान अपमिश्रित खाद्य पदार्थो एवं अवैध औषधि निर्माण/विक्रय में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के पश्चात प्रकरण की गहन विवेचना नहीं की जाती है तथा मात्र मौके पर गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध ही वाद दायर कर दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि अपमिश्रित खाद्य पदार्थो एवं अवैध औषधि निर्माण/विक्रय से संबंधित समस्त प्रकरणों में सभी स्तरों पर गहन जॉच कर उक्त नेटवर्क में संलिप्त सभी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय।
- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि उपभोक्ताओं में अपेक्षित जागृति न होने के कारण खाद्य एवं औषधि विक्रेताओं द्वारा उन्हे कैश मेमों जारी नहीं किये जाते हैं। अतः जन—सामान्य को जागरूक करने हेतु तहसील व ब्लाक स्तर पर जागरूकता

.....3

गोष्ठी/सभा आदि आयोजित की जाय तथा औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के संघ के सहयोग से प्रतिष्ठानों पर भी पोस्टर के माध्यम से आवश्यक जानकारी/सूचना प्रदर्शित की जाय।

- खाद्य अपमिश्रण व नकली अधोमानक व मिथ्याछाप औषधियों के उत्पादन एवं विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय में एफ.डी.ए. टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। अतः जनपद स्तर पर प्राप्त अभिसूचनाओं को एफ.डी.ए. टास्क फोर्स को उपलब्ध कराते हुए उनसे समन्वय स्थापित करें तथा प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
सचिव।

संख्या—3014(1)/अट्ठासी—09,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2— आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0 प्र0।
4— निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0, लखनऊ।
5— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस0 के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव।